न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(शिवचरण मीणा ,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14 / 2011
प्रविष्टि दिनांकः— 28.12.2011

तेजू पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पचेवर तह. मालपुरा जिला टोंक राज.

.....रिवीजनकर्ता

बनाम

1—ग्राम पंचायत पचेवर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पचेवर पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक
2—पार्वती देवी पत्नि हनुमान जाति तेली निवासी पचेवर तह. मालपुरा जिला टोंक राज.

.....नॉन रिवजीनकर्ता

रिवीजन विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.11.2011 उनवानी अपील तेजू बनाम ग्राम पंचायत पचेवर अपील सं. 1 / 2010 अधिनस्थ संस्था वित्त एवं प्रशासन स्थाई समिति, पंचायत समिति मालपुरा

उपस्थितः (1) श्री राजकुमार कासलीवाल, अभिभाषक रिवीजनकर्ता
(2) श्री परशुराम चौधरी, अभिभाषक नॉन रिवीजनकर्ता सं. 2

निर्णय

दिनांक 23.06.2023

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि रिवीजनकर्ता ने अधीनस्थ संस्था के प्रधान अध्यक्ष महोदय वित्त एवं प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक में एक अपील उनवानी तेजू बनाम ग्राम पंचायत पचेवर बाबत निर्णय ग्राम पंचायत पचेवर जारी किये जाने पट्टा दिनांक 07.10.2009 मिसल सं. 18 दायर दिनांक 12.08.2009 के बाबत पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के मकान व बाडे मे जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता स्थित है जो कि करीब 100 वर्षों से भी अधिक समय से मौके पर मौजूद है। यह रास्ता 10 फीट चौडा है, इस रास्ते में से न्यायालय सिविल न्यायाधीश के निर्णय से पाबंद होने से बाद भी रेस्पोडेण्ट नं. 1 ने राजस्थान पंचायत राज के सारे प्रावधानों व नियमों का उल्लंघन कर 7X10 फीट भूमि का गलत तरीके से आवंटन कर पट्टा बनाने का आदेश पारित कर दिया जो कि गैर कानूनी हैं, इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा वित्त एवं प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक में अपील पेश की गई जिसमें ग्राम पंचायत पचेवर का निर्णय दिनांक 07.10.2009 बाबत् पट्टा मिसल संख्या 18 श्रीमति पार्वती देवी तेली को जारी पट्टा बहाल रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर नॉन रिवीजनकर्ता को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब किया गया।

अभिभाषक रिवीजनकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ संस्था का निर्णय विधि विधान व पत्रावली में उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के कई विपरित है। अधिनस्थ संस्था ने ग्राम पंचायत पचेवर की पत्रावली का विधिवत अवलोकन नहीं किया और न ही इस संबंध में निर्णय में अपनी कोई टिप्पणी अंकित की कि ग्राम पंचायत पचेवर द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियमों के अनुरूप प्रकिया अपनाये बिना भूमि आवंटित क्यों की गई है, और इस प्रकार का आवंटन कैसे सही है, बिना इस वैधानिक प्रावधानों का विवेचन किये निर्णय पारित कर दिया जो कतई गलत है जिससे यह निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ संस्था ने इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया कि स्वीकृत रूप से नाले व रास्ते की भूमि को ग्राम पंचायत अन्य व्यक्ति को कैसे अवंटित कर सकती है। उक्त नाले व रास्ते की भूमि के बाबत न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मालपुरा के यहां से स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत निर्णय किया हुआ है और उक्त आदेश नॉन रिवीजनकर्ता नं. 2 पर बाईन्डिंग हैं। नॉन रिवीजनकर्ता नं. 2 ने खुले रूप से न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की है। नॉन रिवीजनकर्ता नं. 1 ने नॉन रिवीजनकर्ता नं. 2 के पक्ष में रास्ते व नाली की भूमि का आवंटन कर पट्टा किये जाने की प्रकिया वैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं अपनाई, और गैर कानूनी रूप से उक्त निर्णय पारित किया है जो कि कतई गलत है। अधिनस्था संस्था ने रिवीजनकर्ता की अपील को बाद मियाद बताते हुए खारिज कर यह निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ संस्था ने ग्राम पंचायत की संधारित पत्रावली में से किन तथ्यों को निर्णय का आधार माना, मौका निरीक्षण रिपोर्ट में कमेटी ने क्या तथ्य उल्लेखित किये, दोनों पक्षों की साक्ष्य में क्या तथ्य अधिनस्थ संस्था के सामने आए, उक्त सारी बातों का अपने निर्णय में कहीं विवेचन नहीं किया जिससे यह निर्णय अस्पष्ट है। स्वीकृत रूप से रास्ते व नाली की भूमि पर रेस्पोडेण्ट नं. 2 का कब्जा नहीं है, फिर भी अधिनस्थ संस्था ने गलत रूप से बिना किसी साक्ष्य के पट्टाशुदा भूमि में वर्तमान में कब्जा होने का तथ्य उल्लेखित कर निर्णय पारित किया है। अतः रिवीजन पेश कर निवेदन हैं कि रिवीजनकर्ता की रिवीजन स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ संस्था का निर्णय दिनांक 08.11.2011 उनवानी अपील तेजू बनाम ग्राम पंचायत अपील सं. 01/2010 अधिनस्थ संस्था वित्त एवं प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति मालपुरा निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक नॉन रिवीजनकर्ता सं. 2 की बहस सुनी गई। अभिभाषक ने कथन किया कि रिवीजनकर्ता ने जो रिवीजन पेश की है वह बिना आधार के पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह सही है। रिवीजन में वित्त एवं प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति मालपुरा को पक्षकार नहीं बनाया है। इस आधार पर रिवीजन खारिज किये जाने योग्य है। मौके पर रास्ता नहीं है, नाला यथावथ है। नाले की जमीन का कोई पट्टा नहीं दिया गया है। नाला पट्टा शुदा जमीन से अलग है। जो निर्णय सिविल न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिया गया था उसकी अपील अपर जिला एवं सेशन मालपुरा के यहां

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विचाराधीन है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारों के तहत सम्पर्ण कानूनी प्रकिया अपनाकर पट्टा जारी किया है। अतः रिवीजन खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व अधिनस्थ संस्था की पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0खण्ड)एंव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा जिला–टोंक के दीवानी वाद सं0 32/97 निर्णय दिनांक 16–7–2003 तेजू बनाम सत्यनारायण वगैरह में निर्णय पारित किया गया है कि विवादित 10 फीट चौडे आम रास्ते पर अतिक्रमण नहीं करे। रास्ते को सकडा कर निर्माण नहीं करे व रास्ते में बनी हुई रपट को नुकसान नहीं पहुंचाए किन्तु इसके उपरांत भी ग्राम पंचायत पचेवर द्वारा मिसल संख्या 18 दायर दिनांक 12.08.2009 व निर्णय दिनांक 07.10.2009 से 7X10 फीट का पट्टा जारी कर दिया जिसकी अपील रिवीजनकर्ता द्वारा प्रशासन एवं स्थाई समिति मालपुरा के यहां की गई जिसे प्रशासन एवं स्थाई समिति मालपुरा ने सारहीन एवं मियाद बाहर बताते हुए अपने निर्णय दिनांक 10.07.2009 से पट्टा मिसल संख्या 18 श्रीमति पार्वती देवी तेली को जारी पट्टा बहाल रखा गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रशासन एवं स्थाई समिति मालपुरा तहसील मालपुरा के निर्णय दिनांक 18.11.2011 उनवानी अपील तेजू बनाम ग्राम पंचायत पचेवर अपील सं. 1/2010 को निरस्त कर प्रकरण प्रशासन एवं स्थाई समिति मालपुरा तहसील मालपुरा को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज 23.06.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिवचरण मीना)
अति0 जिला कलेक्टर, टोंक